**बिहार सरकार**
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**।। अधिसूचना ।।**

पटना–15,दिनांक–12-9-16

संख्या–3 / एम–10 / 2016सा0प्र0–12495 / भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली के समूह 'घ' के अनुसूचित पदों के कर्मचारियों की भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त के निर्धारण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली "स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह 'घ' संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते), नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली तक सीमित रहेगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– इस नियमावली में जबतक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो–

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है प्रधान स्थानिक आयुक्त / स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली;

(iii) "विभाग" से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग;

(iv) "संवर्ग" से अभिप्रेत है स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन स्थानिक आयुक्त कार्यालय का समूह 'घ' संवर्ग;

(v) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है स्थानिक आयुक्त के सचिव, बिहार भवन नई दिल्ली ;

(vi) "चयन समिति" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम–8 में गठित चयन समिति;

(vii) "पैनल" से अभिप्रेत है चयन समिति द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची।

3. **संवर्ग का गठन।**– यह संवर्ग स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली तक सीमित रहेगा। इस नियमावली के आरम्भ होने के पूर्व से इन पदों पर नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जाऐंगे।

4. **प्राधिकृत बल**।– राज्य सरकार इस संवर्ग में पदों की प्राधिकृत संख्या अवधारित कर सकेगी तथा इस हेतु स्थायी या अस्थायी पद भी सृजित कर सकेगी, अथवा किसी पद को स्थगित या रिक्त रख सकेगी। इस आधार पर छँटनीग्रस्त इस संवर्ग के किसी भी सदस्य को प्रतिकर का अधिकार नहीं होगा।

5. **अर्हता**।– समूह 'घ' के पदों पर सीधी भर्त्ती बेसिक ग्रेड के वेतनमान में होगी। भर्त्ती हेतु– (i) उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता दसवीं ( मैट्रिक) उत्तीर्ण या समकक्ष होगी।

(ii) उम्मीदवारों का स्वस्थ होना एवं साईकिल चलाने का ज्ञान होना आवश्यक होगा। महिला उम्मीदवारों के मामले में साईकिल चलाने के ज्ञान को शिथिल किया जा सकेगा।

(iii) उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय–समय पर अवधारित की जाय। परंतु, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या– 8025 दिनांक– 21.05.2013 के आधार पर, स्थानिक आयुक्त कार्यालय में कम से कम 5 वर्ष तक लगातार संविदा के आधार पर समूह 'घ' के पद पर कार्यरत कर्मियों को, समूह 'घ' के नियमित पद पर नियुक्ति हेतु Overage होने की स्थिति में, अधिकतम उम्र सीमा में, पूर्व से संपादित कार्य अवधि के समतुल्य छूट अनुमान्य होगी।

6. **आरक्षण/रोस्टर**।– रिक्तियों का आकलन करने के पश्चात् वास्तविक एवं संभावित रिक्तियों के अनुसार रोस्टर पंजी क्लीयर कराकर आरक्षण कोटिवार अनुशंसित पैनल से नियुक्ति की जा सकेगी।

7. **रिक्तियों का अनिवार्य विज्ञापन**।– विज्ञापन के द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदनों पर विचार कर चयन समिति द्वारा पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए रिक्तियों के विरुद्ध आरक्षण कोटिवार पैनल तैयार किया जायेगा।

8. **चयन प्रक्रिया**।– (i) स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली में समूह 'घ' में भर्त्ती हेतु पैनल तैयार करने के प्रयोजनार्थ, स्थानिक आयुक्त की अध्यक्षता में **चयन समिति** का गठन प्रधान स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार द्वारा किया जाएगा। जो उम्मीदवारों के द्वारा मैट्रिक में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर स्थानिक आयुक्त कार्यालय में समूह 'घ' में भर्त्ती हेतु पैनल तैयार कर सकेगी।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या– 8025 दिनांक– 21.05.2013 के प्रावधानानुसार, स्थानिक आयुक्त कार्यालय में कम से कम 5 वर्षों तक लगातार, संविदा के आधार पर समूह 'घ' के पद पर कार्यरत कर्मियों को, अन्य उम्मीदवारों के समान मेधा अंक होने की स्थिति में, वरीयता दी जायेगी।

(iii) अन्य बातें समान होने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को उनकी जन्म तिथि के अनुसार प्राथमिकता दी जा सकेगी।

(iv) चयन समिति की अनुशंसा, अनुशंसा किये जाने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए ही वैध होगी।

(v) सभी नियुक्तियाँ मूल कोटि में की जायेगी।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु किये गये सभी प्रावधान, इस नियमावली के अधीन अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति वाले मामलों में भी लागू होंगे।

9. **परिवीक्षा अवधि/सम्पुष्टि।**– इस कोटि में सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त कर्मी की परिवीक्षा अवधि, नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने और उक्त अवधि में सेवा संतोषप्रद होने तथा विहित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, यदि कोई हो, तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परीवीक्षाधीन कर्मचारी की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी। यदि परीवीक्षा अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं पायी जाय तो अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, परीवीक्षा अवधि, एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। परंतु परीक्ष्यमान की कुल अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं पायी जाय, उसे सेवामुक्त किया जा सकेगा, जिसके लिए किसी प्रकार के प्रतिकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

10. **नियुक्ति प्राधिकार।**– प्रधान स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त सक्षम नियुक्ति प्राधिकार होंगे और उनकी शक्तियाँ किसी भी हाल में प्रत्यायोजित नहीं की जा सकेगी।

11. **नियुक्ति करते समय निम्नांकित प्रक्रियाओं का अनुपालन अनिवार्य होगा।**–

(i) चयन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर नव–नियुक्त कर्मचारी, स्थानिक आयुक्त के सचिव, स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली के समक्ष, योगदान देंगें। योगदान के समय, उनकी शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी। उनके हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की जाँच, चयन समिति द्वारा अग्रसारित उनके आवेदन–पत्र के आधार पर की जायेगी। उनसे हस्ताक्षर के साथ फोटोग्राफ प्राप्त कर, इसका मिलान चयन समिति द्वारा अग्रसारित उनके आवेदन पत्र के आधार पर की जायेगी। तदुपरांत, नियुक्ति प्राधिकार के पूर्णतः संतुष्ट होने पर, नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति–पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसमें उनका सत्यापित फोटोग्राफ अवश्य चिपकाया जायेगा;

(ii) स्थानिक आयुक्त के सचिव, स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली की यह जवाबदेही होगी कि वे अनुशंसित कर्मचारियों के सभी प्रमाण–पत्र से पूर्णतः संतुष्ट होकर ही नियुक्ति पत्र स्थानिक आयुक्त के स्तर से निर्गत करायेंगे, जिसमें उनके स्थानिक आयुक्त के सचिव, स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा सत्यापित फोटोग्राफ चिपकाए गये होंगे। स्थानिक आयुक्त के सचिव, स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली में नियुक्त कर्मी के लिए, दो प्रतियों में सेवापुस्त खोलेंगे;

(iii) प्रथम वेतन विपत्र के साथ नियुक्ति पत्र की अभिप्रमाणित फोटो प्रति कोषागार में भेजी जायेगी, जिससे नियुक्तिकर्त्ता पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान कोषागार पदाधिकारी कोषागार में पूर्व से उपलब्ध हस्ताक्षर से कर लेंगे।

12. **प्रशिक्षण।**– विभाग द्वारा समय–समय पर, यथा अपेक्षित प्रशिक्षण नियुक्त कर्मियों को प्राप्त करना होगा।

13. **समूह 'घ' के पद/कोटि।**– (i) स्थानिक आयुक्त कार्यालय में विद्यमान विभिन्न अपुनरीक्षित वेतनमानों में समूह 'घ' के सभी पदों को समेकित कर पदों की संख्या का अनुपात निम्नवत् होग :–

| | |
|---|---|
| (क) समूह 'घ' (मूलकोटि–iv) | 30 प्रतिशत |
| (ख) समूह 'घ' (कोटि–iii) | 30 प्रतिशत |
| (ग) समूह 'घ' (कोटि–ii) | 35 प्रतिशत |
| (घ) समूह 'घ' (कोटि–i) | 05 प्रतिशत |

(ii) वेतनमान/प्रोन्नति के संबंध में राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश लागू होंगे।

14. **प्रोन्नति।**– (i) इस संवर्ग में वरीयता के आधार पर निम्नवत् प्रोन्नति दी जा सकेगी।

(क) समूह 'घ' (कोटि–iv) से समूह 'घ' (कोटि– iii) में।

(ख) समूह 'घ' (कोटि–iii) से समूह 'घ' (कोटि– ii) में।

(ग) समूह 'घ' (कोटि–ii) से समूह 'घ' (कोटि– i) में।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु आरक्षण/कालावधि संबंधी सभी प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

15. **प्रोन्नति समिति।**– (i) सभी प्रोन्नतियाँ, प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जा सकेगी।

(ii) प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष, स्थानिक आयुक्त, स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली होंगे। समिति के दो अन्य सदस्य स्थानिक आयुक्त द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, जिनमें से एक अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी होंगे।

16. **अवशिष्ट मामले।**– (i) राज्य सरकार के अन्य कर्मियों पर लागू सेवा–शर्तें, अनुशासन, छुट्टी, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन आदि के संबंध में प्रवृत्त सभी नियम, अनुदेश आदि समान रूप से इस संवर्ग के सदस्यों पर भी लागू होंगे। जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत्त अनुदेश उन पर लागू होंगे।

(ii) इस संवर्ग में समूह 'घ' के मूल कोटि के सभी पदों की संयुक्त वरीयता सूची सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित मान–दण्डों के अनुसार, स्थानिक आयुक्त के सचिव, स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा तैयार की जायेगी।

17. **कठिनाईयों का निराकरण एवं निर्वचन।**– जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न हो, उसे, विधि विभाग के परामर्श से, विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

18. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**– (i) स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली के इस संवर्ग के संबंध में निर्गत सभी संकल्प/अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व के संकल्प/अनुदेश के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया अथवा की गयी समझी जाएगी, मानों उस दिन यह नियमावली प्रवृत्त थी, जिस दिन वैसा कुछ किया गया अथवा वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(अनिल कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक –3/एम–10/2016सा0प्र0–12425/पटना–15, दिनांक 12-9-16

प्रतिलिपि – ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को, बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक –3/एम–10/2016सा0प्र0–12425/पटना–15, दिनांक 12-9-16

प्रतिलिपि – राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/राज्य अभिलेखागार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/लोकायुक्त कार्यालय, पटना/प्रभारी, आई0डब्लू0डी0एम0एस0, टी0सी0एस0 कोषांग, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

**बिहार सरकार**
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**।। अधिसूचना ।।**

संख्या–3/एम–10/2016– 12425 / पटना–15, दिनांक– 12-9-2016

अधिसूचना सं0– 12425 दिनांक– 12-9-16का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(अनिल कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

**Government of Bihar**
**General Administration Department**

**NOTIFICATION**

Patna, Dated- 12-9-16

No.3/M-10/2016-GAD- 12426/In exercise of powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, is pleased to make the following Rules for determination of recruitment procedure and service conditions for the posts of Group 'D' in the Office of Resident Commissioner, New Delhi, under General Administration Department :-

**1. Short title, extent and commencement.-** (i) These Rules may be called as "Office of Resident Commissioner, New Delhi, Group 'D' (Cadre Recruitment, Promotion and Service Conditions) Rules, 2016".

**(ii)** It shall extend to the Office of the Resident Commissioner, New Delhi.

**(iii)** It shall come into effect at once.

**2. Definitions**. - In these Rules, unless there is anything contrary to the subject or **context—**

(i) "State Government" means State Government of Bihar;

(ii) "Appointing Authority" means the Principal Resident Commissioner/Resident Commissioner, New Delhi;

(iii) "Department" means General Administration Department;

(iv) "Cadre" means the Cadre of Group "D" of Office of Resident Commissioner, **Bihar Bhawan,** New Delhi, under control of Office of Resident Commissioner, New Delhi;

(v) "Cadre Controlling Authority" means Secretary to the Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi;

(vii) " Selection Committee" means the Selection Committee constituted under rule-8 of these Rules;

(vii) "Panel" means the list of candidates recommended by the Selection Committee.

3. **"Constitution of Cadre. -** This Cadre shall be limited to the Office of the Resident Commissioner, New Delhi. All employees regularly appointed and working on posts mentioned in these Rules before the commencement of these Rules, shall be automatically considered as member of this cadre.

4. **Sanctioned Strength.** - The State Government may from time to time, determine the number of authorised posts in this cadre and may create permanent or temporary posts or may keep any post in abeyance or may keep it vacant. Any member of this cadre retrenched on such ground shall have no right for compensation.

5. **Qualification.** - The direct recruitment on Group 'D' posts shall be in the pay scale of basic grade. For recruitment-

(i) The minimum educational qualification of the candidates shall be tenth (Matriculation) pass or equivalent.

(ii) It shall be necessary for the candidates to have good health and knowledge of cycling. In the case of female candidates the knowledge of cycling may be relaxed.

(iii) The minimum age of candidates shall be 18 years and the maximum age shall be such as may be determined by the State Government (General Administration Department) from time to time. However, for candidates, who are working in the Office of Resident Commissioner for not less than five years on contractual basis, may be given exemption with regard to age, to this extent that, if they become overage, they will be given relaxation up to such period for which they were employed on contractual basis in the Office of the Resident Commissioner under Resolution no. 8025 dated-21.05.2013 of General Administration Department, Government of Bihar.

6. **Reservation/Roster.** - After calculating the vacancies as per actual and expected vacancies and roster clearance appointment may be made from the reservation category wise recommended panel.

7. **Compulsory advertisement of vacancies.** - The application shall be invited through an advertisement. After consideration of applications received, a reservation category wise panel shall be prepared by the Selection Committee against the vacancies for one financial year.

8. **Selection Committee**. - (i) For the purpose of preparing a panel for appointment in group 'D' posts at the Office of the Resident Commissioner,

New Delhi, a Selection Committee shall be constituted under Chairmanship of Resident Commissioner by the Principal Resident Commissioner/ Resident Commissioner which may prepare a panel for appointment on Group 'D' posts, in the office of Resident Commissioner on the basis of marks obtained in Matric by the candidates.

(ii) The candidates, who are working in the Office of Resident Commissioner on the posts of Group 'D' for not less than five years on contractual basis, shall be given preference over the other candidates having same merit-marks under the provisions of Resolution no. 8025 dated-21.05.2013 of General Administration Department, Government of Bihar.

(iii) Other things being equal the elder candidates may be given preference over younger ones. i.e. according to their date of birth.

(iv) Recommendations of the Selection Committee shall be valid only for one year from the date of recommendation.

(v) All appointments shall be made in the basic grade.

(vi) Rules/Orders made by the General Administration Department, Government of Bihar with regard to appointment on compassionate ground, shall be applicable to the appointment on compassionate ground under these Rules.

**9. Probation period/Confirmation** - Probation period of the person appointed by direct appointment in this category, shall be for two years from the date of appointment. The Service may be confirmed by the appointing authority, on successful and satisfactory completion of the probation period and passing of exams, if any prescribed. If the service is not found satisfactory, the probation period may be extended for one year after recording the reasons, but total probation period will not be extended more then three years. If services of the employee is not found satisfactory even in extended period, he may be terminated from service, for which no claim for compensation shall be admissible.

**10. Appointing Authority.** - The Principal Resident Commissioner/Resident Commissioner shall be the competent appointing authority and his powers shall not be delegated in any circumstance.

**11. At the time of making appointment, it shall be mandatory to comply with the following procedures.-**

(i) On receiving the recommendations of the Selection Committee, all newly appointed employees shall have to give joining before the Secretary to the Resident Commissioner, Office of the Resident Commissioner, New Delhi. At the time of joining, their educational and other certificates shall be examined. Their signatures and handwriting will be examined on the basis of their application form forwarded by the Selection Committee. After obtaining their photographs with their signatures from them, it shall be compared with the application forms, forwarded by the Selection Committee. Thereafter,

appointment letter may be issued to the newly appointed employees with their verified photographs pasted on it, on full satisfaction of the appointing officer.

(ii) It shall be the responsibility of the Secretary to the Resident Commissioner, Office of the Resident Commissioner, New Delhi, to make issue the appointment letter on which the photographs verified by the Resident Commissioner will be pasted, only on being fully satisfied with all the certificates of the recommended employees. The Secretary to the Resident Commissioner shall open Service book in two copies for employees appointed in the Office of the Resident Commissioner, New Delhi.

(iii) The attested photo copy of the appointment letter shall be sent to the Treasury along with the first pay bill, so that the signature of the appointing officer may be verified by the Treasury officer with the signature already available in the Treasury.

12. The appointed employees have to complete all the training as required by the Department from time to time.

13. **Group 'D' Post/Category.** - (i) After amalgamating all the posts in the different unrevised pay scale in group 'D' in the Office of the Resident Commissioner, New Delhi, ratio of the number of posts shall be as follows-

(a) Group 'D' (basic category- iv) -30 %
(b) Group 'D' (category - iii) - 30%
(c) Group 'D' (category -ii) - 35%
(d) Group 'D' (category -i) - 05%

(ii) The instructions issued, from time to time, by the State Government (Finance Department) with respect to pay scale/promotion shall be applicable to this cadre.

14. **Promotion .-** (i) In this cadre, the promotion may be given on the basis of seniority as follows –

(a) From Group 'D' (category -iv) to Group 'D' (category -iii)
(b) From Group 'D' (category -iii) to Group 'D' (category -ii)
(c) From Group 'D' (category -ii) to Group 'D' (category -i)

(ii) It shall be necessary to follow all the provisions for promotion issued by the General Administration Department with regard to reservation and KALAWADHI.

15. **Promotion Committee.** - (i) Promotions may be given on the basis of recommendation of the Departmental Promotion Committee.

(ii) The Resident Commissioner, Office of the Resident Commissioner, New Delhi, shall be the Chairman of the Departmental Promotion Committee. Two other members shall be nominated by the Resident Commissioner, one among which shall be an officer belonging to scheduled caste/scheduled tribe.

16 **Residuary matters.-** (i) All Rules/instructions etc in respect with Service-conditions, discipline, leave and Assured Career promotion Scheme applicable to the other employees of the State Government shall be equally

applicable to the members of this cadre also. Instructions come into force for the time being, by the State Government for its employees shall be applicable to them on such subjects and points, for which provisions has not been made in these Rules.

(ii) The Joint Seniority List of all Posts of basic category of Group 'D' in this cadre shall be prepared by the Secretary to the Resident Commissioner, Office of the Resident Commissioner, New Delhi in accordance with the criterion determined by the General Administration Department.

**17. Removal of Difficulties and Interpretation**: - Where any doubt arises in interpretation of any of the provisions of these Rules, it will be decided in consultation with the Law Department and its decision shall be final.

**18. Repeal and Savings .-** (i) All the Resolutions/Instructions issued earlier with respect to appointment/promotion of this Cadre of the Office of the Resident Commissioner, New Delhi, are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under provisions of the previous resolution/instructions will be deemed to be done or taken under these Rules, as if it were come to force on such day on which such thing was done or such action was taken.

By the order of the Governor of Bihar,
(Anil Kumar)
Special Secretary to the Government.

ज्ञापांक –3/एम0–10/2016...12426/ पटना–15, दिनांक ...12-9-16

प्रतिलिपि – ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना, को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली समूह घ